



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 27 मई, 2021
ज्येष्ठ 6, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 953 ई-2/तेरह-2021-104-2016
लखनऊ, 27 मई, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-35

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 31 और समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 (यथासंशोधित) के नियम 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-448 ई-2/तेरह-2019-44-2013 दिनांक 26 मार्च, 2019 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल वर्ष 2020-21 या उसके भाग के लिए आयातित समुद्रपार विदेशी मदिरा एवं बीयर की परमिट फीस निम्नवत् नियत करती हैं :-

(1) आयातित समुद्रपार विदेशी मदिरा

| एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.) | परमिट फीस |
|---|--------------------------|
| रु० 0 से 600 तक | रु० 1200 प्रति बल्क लीटर |
| रु० 600 से 1500 तक | रु० 1260 प्रति बल्क लीटर |
| रु० 1500 से अधिक | रु० 1500 प्रति बल्क लीटर |

(2) आयातित समुद्रपार बीयर

| तीव्रता | परमिट फीस |
|--|-------------------------|
| 5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक | रु0 170.00 – प्रति लीटर |
| 5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक | रु0 170.00 – प्रति लीटर |

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 953 E-2/XIII-2021-104-2016, dated May 27, 2021 for general information:

No. 953 E-2/XIII-2021-104-2016

Dated Lucknow, May 27, 2021

IN exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and rule-4 of the import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh rule 2003 (as amended) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), and in supersession of Government Notification No. 448 E-2/XIII-2019-44-2013 dated March 26, 2019, the Governor is pleased to fix the permit fee of Imported Overseas Foreign liquor and Beer for year 2020-2021 or part thereof as follows :-

(1) Imported Overseas Foreign liquor

| Ex-Custom Bond Price per bottle (750 ml) | Permit fee |
|--|----------------------------|
| Rs. 0 to 600 | Rs. 1200.00 per bulk litre |
| Rs. 600 to 1500 | Rs. 1260.00 per bulk litre |
| Above Rs. 1500 | Rs. 1500.00 per bulk litre |

(2) Imported Overseas Beer

| Strength | Permit fee |
|---|-----------------------|
| (a) Up to 5% (v/v) Strength | Rs. 170.00 per litre. |
| (b) More than 5% (v/v) Strength and upto 8% (v/v) Strength. | Rs. 170.00 per litre. |

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Additional Chief Secretary Excise Deptt.,
U.P. Govt. .

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 49 राजपत्र-2021-(92)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 2 सा0 आबकारी-2021-(93)-100 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।